भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1205
सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

बेरोजगार श्रमिकों के लिए राहज पैकेज

1205 श्री के.आर. सुरेश रेड्डी:
श्री एम. शनमुगमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 लॉकडाउन संकट के कारण अप्रैल से सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान नौकरियाँ चले जाने के संबंध में कोई अनुमान है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने के लिए क्या-क्या अत्यावश्यक कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में बेरोजगार श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरियाँ प्रदान किए जाने के लिए कोई योजना अथवा कार्यक्रम आरंभ किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर के अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस जा रहे हैं। कोविड-19 का प्रतिकूल प्रभाव कम करने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रु. के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत भी आरंभ किया जा चुका है जो युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, व्यवस्थापूर्ण जनसांख्यिकीय एवं मांग पर सकेंद्रित है।

सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) प्रारंभ की है। उपायों का उद्देश्य निर्धन से निर्धनतम व्यक्तियों तक हाथों में भोजन एवं धन को बनाए रखना है ताकि उन्हें आवश्यक आपूर्ति क्रय करने एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

पीएमजीकेवाई के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक रखने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में 125 दिनों में एक मिशन मोड अभियान का कार्यान्वयन करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों भी शामिल है।

आत्म-निर्भर भारत अभियान के तहत, सरकार ने एमजीएनआरईजीएस के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु. उद्दिष्ट किए हैं। यह मानसून के मौसम में लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य के लिए कुल समाधानकारी आवश्यकता में लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने में मदद करेगा।

भारत सरकार ने लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाने के लिए प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना आरंभ की है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन का 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, कोविड-19 के कारण बीमित कामगार जो रोजगार खो चुके हैं, को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है। बढ़ा हुआ लाभ और छूट की शर्तें 24.03.20 से 31.12.2020 की अवधि हेतु लागू हैं।

*****